फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

श्रीमती दाखीबाई बनाम विपक्षी : श्री राज्य सरकार जरिये तहसीलदार कानोड व अन्य

मुकदमा – 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या 63/25

कार्यवाही विवरण

दिनांक : 17.11.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। प्रकरण में तहसीलदार कानोड से जवाब प्राप्त। शामिल फाईल रहें। प्रकरण में बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेजात का अध्ययन किया। प्रकरण में अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार प्रार्थनाग्रस्त आराजी पुर्व में प्रार्थीगण के पिता व पति श्री जमनालाल जी के नाम राजस्व अभिलेखों में दर्ज थी जो भूमि उनके देहावसान के बाद विरासत से प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई। यह कि राजस्व अभिलेखों में प्रार्थी संख्या 3 परेश कुमार का नाम नन्दलाल एवं प्रार्थी संख्या 4 भगवती प्रसाद का नाम दिनेश के रूप में बोलते नाम के अनुसार अंकित कर दिया गया है। जबकि प्रार्थी संख्या 3 व 4 दस्तावेजी व वास्तविक नाम क्रमशः परेश कुमार व भगवती प्रसाद है जिसे प्रार्थी द्वारा संशोधित कर प्रार्थी संख्या 3 का नाम नन्दलाल के बजाय परेश कुमार व प्रार्थी संख्या 4 का नाम दिनेश की बजाय भगवती प्रसाद किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा जवाब पेश किया गया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड तहसील कानोड की हाल जमाबंदी संवत् 2078–81 खाता संख्या 913 आराजी संख्या 4184, 4185 कुल किता 2 रकबा 0.4300 है. भूमि प्रार्थीगण श्रीमती दाखीबाई पत्नी जमनालाल 1/4 दिनेश, नन्दलाल, संतोष पुत्र जमनालाल हिस्सा 3/4 जाति तेली सा. कानोड के नाम दर्ज रेकर्ड होकर विरासत से प्राप्त हुई है जिस पर प्रार्थीगण काबिज है। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि प्रार्थी परेश कुमार एवं भगवती प्रसाद द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतदाता पहचान पत्र एवं शैक्षणिक प्रमाण पत्र अनुसार **नन्दलाल का वास्तविक सही नाम परेश कुमार एवं दिनेश का वास्तविक सही नाम भगवती प्रसाद है।** प्रार्थीगणों का परिवार विगत कई वर्षो से गुजरात देह गांव में काम काज करते है एवं ग्राम कानोड में कभी कभी आते है। विरासत के नामान्तरण के वक्त परेश कुमार का बोलता नाम नन्दलाल एवं भगवती प्रसाद का नाम दिनेश होने से राजस्व रेकर्ड में अंकित कर दिया गया था। तहसीलदार कानोड द्वारा बताया कि खातेदार नन्दलाल का वास्तविक एवं सही नाम परेश कुमार तथा खातेदार दिनेश का वास्तविक सही नाम भगवती प्रसाद बताया गया।

उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रार्थी ... आधार कार्ड की प्रति प्रस्तुत की। प्रकरण में तहसीलदार कानोड द्वारा ... स्पष्ट किया है कि खातेदार नन्दलाल का वास्तविक एवं सही नाम ... खातेदार दिनेश का वास्तविक सही नाम भगवती प्रसाद है। अतः उपरोक्त ... आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

–:: आदेश ::–

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू. राजस्व ... स्वीकार किया जाता है कि मौजा कानोड चक ए पटवार हल्का कानोड तहसील ... जिला उदयपुर राज की जमावंदी संवत् 2078–81 की खाता संख्या नया 913 ... नन्दलाल, दिनेश पुत्र जमनालाल के नाम को संशोधित करते हुये नन्द... जमनालाल के बजाय परेश कुमार पुत्र जमनालाल किये जाने तथा खातेदार दि... जमनालाल के बजाय भगवती प्रसाद पुत्र जमनालाल अंकित किये जाने के आ... जाते है। शेष बदस्तुर रहें। पालना हेतु तहसीलदार कानोड को लिखा जावें। फैसल सुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।

(रमेश चन्द्र बहेडिया RAS)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी भीण्डर
जिला उदयपुर (राज)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भीण्डर
जिला-उदयपुर (राज.)